1. चयन प्रक्रिया विश्वविद्यालय के वर्तमान प्रभावी अध्यादेश 317(4) के अधीन होंगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् मुद्रित (Printed) हार्डकॉपी समस्त महत्वपूर्ण दस्तावेज़ो, यथा–शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि की समुचित पठनीय स्वप्रमाणित फोटोकॉपी सहित दिनांक 30.06.2017, अपरान्ह 5.00 बजे तक स्थापना शाखा (शैक्षणिक), जय नारायण व्यास विश्वविधालय जोधपुर में जमा हो जाने चाहिये।
2. छँटनी (short-listing) हेतु मापदण्ड एवं प्रक्रिया का निर्धारण किये जाने तथा बिना कारण निर्दिष्ट किए विज्ञापित पद पर भर्ती नही करने का अधिकार विश्वविधालय में निहित होगा।
3. राजस्थान सरकार के आरक्षण के सभी प्रावधान जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में प्रभावी होंगे।
4. इस विज्ञप्ति के प्रसारण एवं चयन प्रक्रिया के समापन तक रिक्तियों में विधिक तौर पर कोई अन्तर आने की स्थिति में रिक्त पदों की गणना चयन प्रक्रिया के समापन के समय की जायेगी। पदों की संख्या में कमी एवं बढ़ोतरी का अधिकार विश्वविधालय के पास सुरक्षित रहेगा।
5. विश्वविधालय द्वारा पूर्व में प्रसारित नियुक्ति सम्बन्धित विज्ञापन/विज्ञापनों में उपरोक्त विज्ञापित शैक्षणिक पदो के सम्बन्ध में जारी पात्रता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं चयन प्रक्रिया सम्बन्धी विवरण पूर्ण रूप से इस विज्ञापन द्वारा अधिक्रमित (supersede) किए जाते हैं।
6. **<u>आवेदक शुल्क :–</u>**

आवेदक को निम्नानुसार आवेदक शुल्क की अदायगी डिमाण्ड ड्राफट Payable to "Registrar, Jai Narain Vyas University, Jodhpur" को देय होगा। शुल्क अन्य किसी माध्यम से जमा नही होंगा।

क्र.सं.	प्रवर्ग	आवेदन शुल्क (रूपये)
1.	सामान्य संवर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी	1000/–
2.	राजस्थान के अनु. जाति/अनु. जनजाति/पिछडा वर्ग नॉन–क्रीमीलेयर	500/–
3.	विशेष योग्यजन (शारीरिक विकलांग/दिव्यांग) अभ्यर्थी	100/–

नोटः 1. राजस्थान राज्य से अन्य भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियो को सामान्य वर्ग का आवेदक माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क देना होगा।

2. आवेदन शुल्क वापसी– आवेदन शुल्क की वापसी से संबंधित किसी दावे पर विचार नही किया जायेगा और न ही आवेदनशुल्क किसी अन्य आवेदन हेतु आरक्षित किया जायेगा, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन ही निरस्त नही कर दिया जाता। विज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति में ही आवेदन शुल्क की वापसी अनुज्ञेय होगी।

<u>आवेदन करने सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्देशः–</u>

7. प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन पत्र भरा जाएगा एवं शुल्क भी प्रत्येक आवेदित पद के लिए अलग से देय होगा।

8. ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथी दिनांक 25.06.2017 समय रात्रि 11.59 बजे तक हैं, जिनकी मुद्रित (printed) हार्डकॉपी समस्त महत्वपूर्ण वांछनीय/आवश्यक दस्तावेजों की समुचित पठनीय स्वप्रमाणित फोटोकॉपी सहित विश्वविधालय में दिनांक 30.06.2017, अपरान्ह 5.00 बजे तक जमा करानी होगी।

9. राजस्थान राज्य से बाहर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग, विशेष योग्यजन अभ्यर्थी व महिला राजस्थान सरकार की आरक्षण नीति के नियमों के अनुसार आरक्षण हेतु पात्र नही होंगे अतः उन्हे अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत ही माना जावेगा अर्थात् राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियो को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा।

10. चयन प्रक्रिया में हुई चूक अथवा त्रुटि के ज्ञात होने की स्थिति में, किसी भी स्तर (stage) पर, यहॉ तक की नियुक्ति पत्र जारी होने के पश्चात् भी, अभ्यर्थी को प्रदत्त/जारी किसी भी संचारण अथवा पत्र व्यवहार को संशोधित, वापस लेने अथवा निरस्त करने का अधिकार विश्वविधालय में निहित होगा।

11 किसी प्रकार के डाक विलम्ब तथा साक्षात्कार के आयोजन एवं परिणाम एवं साक्षात्कार हेतु आमन्त्रित नही करने के कारणों के संबंध में किसी प्रकार के पत्र व्यवहार पर विश्वविद्यालय द्वारा विचार नही किया जाएगा। सम्बन्धित जानकारी हेतु आवेदक नियमित रूप से विश्वविधालय वेबसाइट का अवलोकन करें।

12. केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन–पत्र के संबंधित स्थान पर अपनी श्रेणी इंगित करें एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी

जाति विषयक वैध प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति हार्डकॉपी के साथ संलग्न करें। पिछडा वर्ग सम्बन्धी प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना नही होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग में आरक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा वृहत् प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

13. विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित श्रेणी का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति (अजा/अजजा/पिछडा वर्ग) प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नही होगा।

14. सामान्य वर्ग के पदो ंके विरूद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में पात्र होना आवश्यक होगा।

15. पूर्व से सेवा में नियोजित अभ्यर्थी, नियत तिथी के भीतर अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक हैं।

16. अधूरे भरे आवेदन पत्र स्वीकार नही किए जायेंगे तथा ऐसे आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जायेंगे।

नोट :– 1. उपरोक्त रिक्तियों के सम्बन्ध में विशेष योग्यजन आरक्षण राजस्थान सरकार के नियमों के तहत देय होगा।

2 पूर्व मे विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन 67 /2016–17 एवं 68/2016–17 के संदर्भ में जिन अभ्यार्थियो ने पूर्व मे आवेदन किया हुआ है उन्हे पुनः आवेदन करना होगा तथा उन्हें निर्धारित शुल्क देने की आवश्यकता नही होगी इसकी हार्डकोपी (printed) भी उपरोक्तनुसार जमा करानी होगी।